उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5
संख्या : 2529/आठ–5–16–2ई/16
लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्त्रण संवर्ग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4535/आठ–5–07–88ई/03टीसी, दिनांक 10.09.07 द्वारा प्रख्यापित की गयी थी। उक्त सूची में अनुसूचित जाति के वरिष्ठता कमांक–168 से 201 के मध्य वर्ष 1995 में पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को परिणामी ज्येष्ठता देते हुए ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया गया था।

2– अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.04.1996 में उल्लिखित सामान्य श्रेणी के अवर अभियन्ता (सिविल) की प्रोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर दिनांक 03.08.15 एवं 10.06.16 को हुई। उक्त प्रोन्नति होने के फलस्वरूप सामान्य श्रेणी के प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा मौलिक पद अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर ज्येष्ठता सूची दिनांक 19.04.1996 में अनुसूचित जाति के दिनांक 18.01.1995 को पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं से वरिष्ठ होने के आधार पर उनके ऊपर वरिष्ठता दिये जाने हेतु विपक्षीगण को निर्देशित करने के लिए मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या–813/2015 अखिलेश कुमार एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित करते हुए निम्नवत अनुतोष की मॉग की गयी :–

(1) Issue writ of mandamus directing the Respondents to revert the promotions of all those candidates who have been granted accelerated promotion on the basis of Section 3(7) of Uttar Pradesh Public Services (Reservation) for Scheduled Cast, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 and Rule 8A of U.P. Government Servants Seniority Rules, 1991, as the said provisions have been declared to be ultra virus by this Hon'ble Court in the case of U.P. Power Corporation Ltd. Vs Rajesh Kumar & Ors. 2012(7) SCC 1; and / or

(2) Issue writ of mandamus direction the Respondents to fix the seniority of the petitioners in the promoted cadre of Assistant Engineer (civil) on the basis of their seniority in feeder cadre i.e. Junior Engineer (civil) within 3 months; and/or

b t uo-16(1)

(3) Issue writ of mandamus direction the Respondents to revert the the promotions of all those candidates who have been wrongly granted further out of turn promotions without following the principal of catch up rule, and 'consequential seniority' as laid down by this Hon'ble Court in the case of S. Pannier Selvam & Ors. Vs Government of Tamil Nadu & Ors. decided on 27.8.2015; and/or

(4) Issue writ of mandamus direction the Respondents to make promotions of the petitioner from the date when their immediate juniors have been promoted on the basis of their seniority in the feeder cadre as Junior Engineers (civil); and/or

(5) Issue any other order and or directions as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the present case.

3– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका को दिनांक 04.12.2015 को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए निम्नवत निर्णय पारित किये गये :–

Heard Mr. Ashok Kumar Singh, learned counsel for the petitioners.

Having heard the learned counsel, we are only inclined to direct that the grievances of the writ petitioners shall be guided by the order in Contempt petition (c) No. 214 of 2013 in civil Appeal No. 2679 of 2011 and contempt petition (c) No. 414 of 2015 in civil Appeal No. 2610 of 2011 dated 13-10-2015 as mondified by this Court on 24-11-2015.

With the above observations and directions, the writ Petitions stands disposed of.

There shall be no order as to costs.

Pending interlocutory applications, if any, are disposed of.

4– मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.12.2015 के अनुपालन हेतु प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्ताओं के सेवा संबंधी प्रकरण का निस्तारण उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है। उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली,

1985 (यथा संशोधित) के नियम–7 एवं 28 में ज्येष्ठता दिये जाने का निम्नवत प्राविधान है :–

7–(1) नियम–28 में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की जो अधिनियम की धारा–5(क) की उपधारा–(2) के अधीन सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये जाये, ज्येष्ठता, सेवा की निरन्तर अवधि जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, नगर महापालिका, नगर पालिका, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, सरकारी सेवा अथवा जल निगम में उसी प्रकार के पद पर की गयी सेवा भी है, के सिद्धान्त पर अवधारित की जायेगी।

(2) ऐसी व्यक्तियों की स्थिति में, जिनकी सामान्य निरन्तर सेवा आदि हो, अधिक आयु वाला व्यक्ति ज्येष्ठ होगा और यदि ऐसे व्यक्तियों की आयु समान हो तो उच्च वेतन आहरित करने वाला व्यक्ति ज्येष्ठ होगा।

28(1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के शिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि 02 या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो, अवधारित की जायेगी :
परन्तु यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम–25 के उपनियम–3 के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो।
परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद पर प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गयी है।

(4) उपनियम–(1) में किसी बात के होते हुये भी सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की स्थिति में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से और प्रोन्नत व्यक्तियों की स्थिति में निरन्तर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के दिनांक से अवधारित की जायेगी और जब प्रोन्नत व्यक्ति के निरन्तर स्थानापन्न रूप से कार्य करने का दिनांक और सीधी भर्ती वाले व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक एक ही हो तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति ज्येष्ठ माना जायेगा।

परन्तु जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाये और स्रोत का अलग–अलग कोटा विहित हो, वहाँ उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम–17 के अनुसार संयुक्त सूची में ऐसी रीति से जिससे विहित प्रतिशत बना रहे उनके नाम रख कर अवधारित की जायेगी।

5– मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.12.2015 के अनुपालन में सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.09.2007 में निम्नवत् आधारों पर अनन्तिम रूप से निर्धारित कर आपत्तियाँ प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(1) सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची के वरिष्ठता क्रमांक–168 से 201 पर अंकित अनुसूचित जाति के अभियन्ताओं की प्रोन्नति यद्यपि दिनांक 18.01.1995 को हुई है, किन्तु मौलिक पद अवर अभियन्ता (सिविल) के आधार पर उक्त अनुसूचित जाति के अभियन्ता सामान्य श्रेणी के अभियन्ताओं से कनिष्ठ हैं। चूँकि सामान्य श्रेणी के अभियन्ताओं की प्रोन्नति दिनांक 03.08.2015 एवं 10.06.2016 को हुई है। ऐसी स्थिति में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.12.2015 के अनुपालन में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथा संशोधित) के नियम–28(3) में अंकित प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों का ज्येष्ठता क्रम परिवर्तित करते हुये उन्हें सामान्य श्रेणी के अभियन्ताओं के साथ उनकी पारस्पारिक ज्येष्ठता, मूल संवर्ग अवर अभियन्ता (सिविल) में अंकित ज्येष्ठता के अनुसार निर्धारित की जानी है।

(2) वर्ष 2009 एवं वर्ष 2013 में सीधी भर्ती के माध्यम से लोक सेवा आयोग से चयनित होने के उपरान्त शासन द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। उक्त अभियन्ताओं को वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाना है।

(3) श्री आर0एन0 सिंह की वरिष्ठता के संबंध में कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 16.05.11 द्वारा दिये गये संशोधित आदेश के अनुसार उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जानी है।

(4) श्री सुहैल अहमद फरीदी को कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 23.05.2014 द्वारा दिनांक 20.11.2001 से विनियमित किया गया है। उक्त विनियमितीकरण की तिथि से उनकी वरिष्ठता निर्धारित करते हुए वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाना है।

6– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2015 के अनुपालन में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियन्त्रण संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची

शासनादेश संख्या–2008/आठ–5–16–2ई/2016, दिनांक 29.07.2016 द्वारा निर्गत करते हुए आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

7– उक्त शासनादेश दिनांक 29.07.2016 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों का निस्तारण उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम–7 व 28 के प्राविधानों एवं निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर किया गया :–

(1) सीधी भर्ती के माध्यम से तदर्थ रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अभियन्ता, जिनकी सेवाऐं विनियमित की गयी हैं, उन्हें विनियमितीकरण की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान करते हुए नियुक्ति पत्र में अंकित क्रमानुसार सूची में अवस्थित किया गया है।

(2) दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत सहायक अभियन्ताओं को विनियमितीकरण की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान करते हुए उनकी दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर नियुक्ति की तिथि के अनुसार सूची में अवस्थित किया गया है।

(3) जो सहायक अभियन्ता दिनांक 22.10.1984 के पूर्व सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हुए हैं, उन्हें केन्द्रीयकरण की तिथि अर्थात दिनांक 22.10.1984 को उसी पद पर आमेलित मानते हुए उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर विभिन्न विकास प्राधिकरणों में नियुक्ति की तिथि के क्रम में ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है।

(4) अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता उनकी नियमित पदोन्नति की तिथि से पोषक संवर्ग की पारस्परिक ज्येष्ठता क्रम में निर्धारित की गयी है।

(5) अन्य विभाग से प्राधिकरण सेवा में आमेलित व्यक्तियों की ज्येष्ठता अन्तिम आमेलन की तिथि से निर्धारित की गयी है।

(6) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत चयन सूची के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित हुए वरिष्ठता सूची में रखा गया है।

(7) वर्ष 1986 में तदर्थ रूप से प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को वर्ष 2003 में विनियमित किया गया है जबकि वर्ष 1995 में पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को त्रुटिवश तदर्थ प्रोन्नति प्रदान करते हुए नियमित प्रोन्नति प्रदान की गयी है। वर्ष 1986 में पदोन्नत सहायक अभियन्ता, मौलिक पद अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर वर्ष 1995 में पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं से वरिष्ठ हैं। इस कारण ज्येष्ठता सूची में वर्ष 1995 में पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं से ऊपर स्थान दिया गया है।

-16(1)

(8) श्री हीरालाल सिंह यादव, सहायक अभियन्ता (सिविल) मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका संख्या–854/2010 हीरालाल सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2013 के अनुपालन में शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–950/आठ–5–16–10रिट/10, दिनांक 30.04.2016 द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार वरिष्ठता सूची में स्थान इस शर्त के अधीन दिया गया है कि श्री यादव की उपरोक्तानुसार वरिष्ठता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट ए याचिका संख्या–43724/2013 नीरज कुमार गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2016 के अनुक्रम में श्री नीरज कुमार गुप्ता द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष दाखिल पुनर्विचार याचिका संख्या–48/2016 हीरालाल सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

क0	अभियन्ता का नाम/पदनाम/तैनाती का प्राधिकरण	आपत्ति के बिन्दु	आपत्ति का निस्तारण
1	2	3	4
1.	श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया, सहायक अभियन्ता, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण।	श्री भदौरिया द्वारा अपने प्रत्यावेदन में मुख्य रूप से यह अवगत कराया गया है कि उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.05.1984 को हुई थी, किन्तु शासन द्वारा कार्यभार नहीं ग्रहण कराया गया। इसी मध्य उनकी नियुक्ति छावनी परिषद, आगरा में दिनांक 01.01.1985 को नियुक्ति हो गयी। पुनः प्राधिकरण में दिनांक 08.05.1987 को छावनी परिषद से कार्यमुक्त होकर उसी दिनांक को अपरान्ह में आगरा विकास प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण किया गया। अतः नियम–37(3) के अन्तर्गत छावनी परिषद, आगरा की सेवाओं का लाभ देते हुये ज्येष्ठता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। श्री भदौरिया द्वारा द्वितीय आपत्ति यह की गयी है कि श्री सुहैल अहमद फरीदी एवं उनका चयन साथ हुआ था। चयन सूची में श्री भदौरिया का नाम ऊपर है जबकि अनन्तिम वरिष्ठता सूची में श्री फरीदी का नाम ऊपर रखा गया है। अतः श्री भदौरिया अपना नाम श्री फरीदी के ऊपर अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	1. उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित (सेवा) नियमावली, 1985 (यथा संशोधित) के नियम–7(1) के प्राविधानों से श्री भदौरिया का प्रकरण आच्छादित न होने के कारण उनकी पूर्व की सेवाओं को जोडकर वरिष्ठता दिया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। इसी कारण श्री भदौरिया द्वारा पूर्व में दिये गये सेवा जोडने संबंधी प्रत्यावेदन को शासन द्वारा दि0 03.08.12 को निरस्त किया जा चुका है। 2. श्री भदौरिया की द्वितीय आपत्ति अभिलेखों के आधार पर सही पाये जाने पर उनका नाम वरिष्ठता सूची में श्री सुहैल अहमद फरीदी के नाम के ऊपर रख दिया गया है।
2.	1. श्री बसन्त कुमार, सहायक अभियन्ता, कानपुर विकास	1. उक्त सभी अभियन्ताओं द्वारा की गयी आपत्ति समान है। अतः उक्त अभियन्ताओं के प्रत्यावेदनों में उठायी	उक्त 18 अभियन्ताओं द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण

	प्राधिकरण। 2. श्री मुन्ना लाल, सहायक अभियन्ता, अयोध्या–फैजाबाद विकास प्राधिकरण। 3. श्री अजीत कुमार, सहायक अभियन्ता, शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण। 4. श्री देवबचन राम, सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। 5. श्री कृपाल सिंह, अधिशासी, सहारनपुर विकास प्राधिकरण। 6. श्री प्रदीप कुमार, अधिशासी अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण। 7. श्री दिनेश कुमार, सहायक अभियन्ता, हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण। 8. श्री मोहन लाल मित्रा, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। 9. श्री जनार्दन राम, अधिशासी अभियन्ता, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण। 10. श्री अनन्त राम राही, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। 11. श्री केशव राम, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। 12. श्री महेश बाबू गौतम, सहायक अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण। 13. श्री विश्वनाथ, सहायक अभियन्ता, रायबरेली विकास प्राधिकरण।	गयी आपत्तियॉ मुख्य रूप से निम्नवत हैः– 1. शासन के आदेश दिनांक 18.01.1995 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त निरन्तर कार्यरत है तथा इसी आधार पर वरिष्ठता सूची दिनांक 10.09.2007 में उनका नाम वरिष्ठता क्रमांक–174 पर रखा गया, जो शासन के नियमों एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुकूल था। 2. प्रार्थी को परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसी सूची में दिनांक 18.01.1995 को प्रोन्नत श्री सुनील दत्त शर्मा, श्री अमर प्रताप सिंह, श्री जहीरूद्दीन को वरिष्ठता क्रमांक–174, 175 व 176 पर रखा गया है, जबकि प्रार्थी को 278 पर रखा गया है। एक ही तिथि को प्रोन्नत सामान्य वर्ग के सहायक अभियन्ताओं को वर्ष 1995 से 2013 के मध्य नियुक्ति सहायक अभियन्ताओं से ऊपर स्थान दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति संवर्ग के सहायक अभियन्ताओं के साथ भेद–भाव करते हुये नीचे स्थान दिया गया है, जोकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–15 का उल्लंघन है। 3. यह कि अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.09.2007 में श्री हीरालाल यादव, श्री अनिल कुमार मिश्रा एवं श्री आर0पी0 सिंह को प्रार्थी के नीचे वरिष्ठता क्रमांक क्रमशः 202, 203 एवं 204 पर अवस्थित किया गया है, जबकि विवादित अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 29.07.2016 में प्रार्थी को वरिष्ठता क्रमांक–278 पर रखते हुये श्री हीरालाल यादव, श्री अनिल कुमार मिश्रा एवं श्री आर0पी0 सिंह को वरिष्ठता क्रमशः 177, 178 एवं 179 पर अवस्थित किया गया है, जोकि आपत्तिजनक है एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। 4. यह कि शासनादेश दिनांक 10.09.2007 के द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची जो कि वर्ष 2007 से अर्थात एक लम्बी अवधि से चली आ रही है, मैं अवैधानिक तरीके से छेड़छाड़ करते हुए दुर्भावनावश पुनः एक नई अनन्तिम सूची में प्रार्थी को वरिष्ठता क्रम में 174 से प्रतिस्थापित	निम्नवत है :– 1. उक्त 18 अभियन्ताओं की प्रोन्नति अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर आरक्षित कोटे के अन्तर्गत की गयी है। ऐसी स्थिति में नियमावली के प्राविधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.12 के अनुपालन में सामान्य श्रेणी के उनसे मौलिक पद में वरिष्ठ प्रोन्नत अभियन्ताओं के साथ मौलिक पद के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की गयी है, जो कि नियमानुसार है। वरिष्ठता सूची दिनांक 10.09.07 में अंकित स्थान नियमानुसार उचित नहीं पाया गया। इसी कारण मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.12.15 के अनुपालन में अनन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार कर आपत्तियॉ/सुझाव आमंत्रित किये गये। 2. श्री सुनील दत्त शर्मा, श्री अमर प्रताप सिंह, श्री जहीररूद्दीन की प्रोन्नति डिग्री कोटे के अन्तर्गत निर्धारित 05 प्रतिशत पद के सापेक्ष श्रेष्ठता के आधार पर की गयी है। आरक्षण का लाभ उक्त कार्मिकों को प्रोन्नति में नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में उनकी वरिष्ठता सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की तिथि 18.01.95 से दिया जाना पूर्णतया विधि सम्मत है। 3. श्री हीरालाल यादव प्राधिकरण सेवा में दिनांक 26.12.95 को आमेलित

b t uo-16(1)

	14. श्री श्याम नारायण प्रसाद, सहायक अभियन्ता, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण। 15. श्री राम कुमार चौधरी, सहायक अभियन्ता, बरेली विकास प्राधिकरण। 16. श्री केदार राम, सहायक अभियन्ता, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण। 17. श्री ओम प्रकाश राम, सहायक अभियन्ता, कानपुर विकास प्राधिकरण। 18. श्री शिव प्रकाश अरविन्द, सहायक अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण	करते हुए कमांक–278 पर अवस्थित किया गया है, जोकि न्यायोचित नहीं है तथा नियमों व मा0 न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है। मा0 सुप्रीम कोर्ट के जे0सी0 गुप्ता बनाम एन0के0 पाण्डेय व अन्य में कहा है कि यदि निर्धारित ज्येष्ठता बहुत समय तक चलती रही हो तो उक्त वरिष्ठता कम में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अन्तिम वरिष्ठता सूची को जारी किये हुए इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा उक्त सूची के आधार पर सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के पदों पर काफी प्रोन्नतियॉ भी काफी समय पूर्व से की जा चुकी है। 5. यह कि शासन द्वारा जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 29.07.2016 में प्रार्थी को वर्ष 1995 से वर्ष 2003 व 2004 के मध्य अधिसंख्य पदों पर नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ताओं के नीचे वरिष्ठता कम में अवस्थित किया जाना अन्यायपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण है, क्योकि अधिसंख्य पद पर नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ता पोषक संवर्ग में समावेशित किये ही नहीं जा सकते, जबकि प्रार्थी 18.01.1995 से नियमित रूप से सहायक अभियन्ता के पद पर लगभग 22 वर्षो से कार्यरत है। इतनी लम्बी अवधि की वरिष्ठता होने के उपरान्त भी प्रार्थी का नाम अनन्तिम वरिष्ठता सूची में कमांक–278 पर रखते हुए दुर्भावनावश हानि पहुँचाने की दृष्टि से जारी किया गया है। 6. यह कि शासन द्वारा जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 29.07.2016 में प्रार्थी को वर्ष 2009 व 2013 में भी नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ताओं के नीचे अवस्थित किया जाना अन्यायपूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि प्रार्थी 18.01.1995 से सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत है। 7. यह कि शासन द्वारा जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 29.07.2016 में प्रार्थी को वर्ष 2015 एवं 2016 में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किये गये परीवीक्षाधीन सहायक अभियन्ताओं के नीचे अवस्थित	हुए हैं तथा मा0 अधिकरण के निर्णय दिनांक 27.02.13 के अनुपालन में उनकी वरिष्ठता शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 30.04.16 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) की पूर्व में निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.09.2007 में पूर्व की सेवाओं को जोडते हुए उनकी वरिष्ठता कमांक–13क पर निर्धारित की गयी है। तद्नुसार श्री यादव को अन्तिम वरिष्ठता सूची में मा0 अधिकरण में लम्बित पुनर्विचार याचिका संख्या–48/2016 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन नियमानुसार स्थान दिया गया है। श्री आर0पी0 सिंह एवं श्री अनिल कुमार मिश्र की प्रोन्नति 05 प्रतिशत डिग्री कोटे के अन्तर्गत ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर हुई है। आरक्षण का लाभ पदोन्नति में प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उनकी वरिष्ठता नियमानुसार निर्धारित की गयी है। 4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.12.15 के अनुपालन में वरिष्ठता सूची अनन्तिम रूप से निर्धारित करते हुए आपत्तियॉ मॉगी गयी हैं, जो पूर्णतया विधि सम्मत हैं। 5. नियमानुसार मौलिक पद में अंकित वरिष्ठता के अनुसार उच्च पद की वरिष्ठता निर्धारित की

		किया जाना भी अन्यायपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण तथा नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है, जबकि प्रार्थी को 18.01.1995 से नियमित रूप से सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करते हुए लगभग 22 वर्ष हो चुके है। 8. यह कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994, 23 मार्च, 1994 से लागू हुआ। इस अधिनियम के कम में दिनांक 14.09. 2007 को परिणामी ज्येष्ठता हेतु नियम–8(क) लागू हुआ, जबकि सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची पूर्व में ही दिनांक 10.09.2007 को प्रख्यापित हो चुकी है। तब इस वरिष्ठता सूची में परिणामी ज्येष्ठता समावेशित होने का नियम ही नहीं था। प्रार्थी जो 1995 से विनियमित रूप से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत है, को परिणामी ज्येष्ठता का आधार बनाकर वर्ष 2001, 2003, 2004, 2009, 2013, 2015 एवं 2016 में नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं से भी नीचे रखा जाना दुर्भावनापूर्ण है एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। 9. यह कि शासनादेश दिनांक 03.08. 2015 एवं शासनादेश दिनांक 10.06. 2016 के द्वारा ऐसे 34 एवं 26 अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दी गयी है, जोकि अभी तक विनियमित भी नहीं है व परिवीक्षाधीन है को प्रार्थी के ऊपर रखा गया है, जोकि नियमों के प्रतिकूल है। विनियमित अवर अभियन्ताओं को छोड़कर अनियमित अवर अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति किया जाना भी नियम विरूद्ध है। 10. यह कि वरिष्ठता कम में विनियमित सहायक अभियन्ताओं से ऊपर तदर्थ को स्थान नहीं दिया जा सकता है। सुलभ सन्दर्भ हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश सन्दर्भित है :--Seniority person of regular member of the cadre-cannot claim seniority. In the instant case the appellant was not a member of the regular establishment of the Director general., Indian	जाती है। प्रकरण में उसी का अनुपालन किया गया है। वर्ष 2003 एवं 2004 में विनियमित अभियन्ताओं की भी वरिष्ठता नियमानुसार निर्धारित की गयी है। 6. वर्ष 2009 व 2013 में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के नीचे वरिष्ठता इस कारण निर्धारित की गयी है कि मौलिक पद अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर अनुसूचित जाति से वरिष्ठ सामान्य वर्ग का अवर अभियन्ता वर्ष 2015 में प्रोन्नत हुआ है। सामान्य वर्ग के सापेक्ष वरिष्ठता निर्धारित होने के कारण वर्ष 2009 व 2013 में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं से नीचे इन लोगों की वरिष्ठता निर्धारित की गयी है। 7. वर्ष 2015 एवं 2016 में पदोन्नत सहायक अभियन्ता अनुसूचित जाति के वर्ष 1995 में पदोन्नत अभियन्ताओं से मौलिक पद (अवर अभियन्ता) पर वरिष्ठ थे। इसी कारण उसी सूची के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की गयी है। 8. परिणामी ज्येष्ठता का नियम कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 14.09.07 द्वारा दिनांक 17.06.95 से प्रभावी किया गया है। अनुसूचित जाति के पदोन्नत अभियन्ताओं की वरिष्ठता सामान्य श्रेणी के अन्तिम वरिष्ठ अभियन्ता के प्रोन्नत होने के उपरान्त ही उसी के

		medical Service, he was not entitled to claim seniority in that office (Nohiria Ram v Union of India, AIR 1958 SC 113, p. 119:1958 SLJ305 :1958SC 932) 11. शासनादेश दिनांक 25.08.1987 के द्वारा उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में सहायक अभियन्ता (विद्युत) की नियुक्तियॉ की गयी। शासनादेश दिनांक 29.12.1995 के द्वारा अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत/नियुक्त किया गया। नियुक्ति की तिथि के अनुसार प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (विद्युत) कनिष्ठ है, जबकि प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का विनियमितिकरण इनके पूर्व सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति सहायक अभियन्ताओं से पूर्व हो जाने के कारण इन्हें विनियमितिकरण की तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची में ऊपर के कम में स्थान दिया गया है। जैसा कि शासनादेश दिनांक 16.11.2004 से स्पष्ट है। 12. यह कि श्री भूदत्त शर्मा को अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता विद्युत के पद पर दिनांक 29.12.1995 को नियुक्त/प्रोन्नत किया गया है। श्री राजीव कुमार सिंह की विनियमित नियुक्ति दिनांक 20.11.2001 को हुई है। इस कारण से शासनादेश दिनांक 16.11. 2004 के द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में श्री भूदत्त शर्मा को श्री राजीव कुमार सिंह से ऊपर स्थान दिया गया है। इस प्रकार सहायक अभियन्ता सिविल एवं सहायक अभियन्ता विद्युत के प्रकरणों में अलग-अलग एवं दोहरा मापदण्ड अपनाया जाना न्यायसंगत नहीं है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि यह अन्तिम वरिष्ठता सूची दुर्भावना से ग्रसित होकर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सहायक अभियन्ताओं को मात्र हानि पहुँचाने के दृष्टिकोण से जारी की गयी है। 13. यह कि वर्ष 2001 से 2013 तक नियुक्त सहायक अभियन्ता वर्ष 1995 में नियुक्त/प्रोन्नत नियमित सहायक अभियन्ता से वरिष्ठ कैसे हो सकते है? यह सोचनीय एवं समक्ष से परे है, जबकि 1995 में यह लोग सेवा में ही नहीं थे।	सापेक्ष निर्धारित किये जाने का नियम/प्राविधान है। परिणामिक ज्येष्ठता दिये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है। 9. वर्ष 2015 एवं 2016 में पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति नियमित रूप से स्थायी पद के सापेक्ष हुई है। ऐसी स्थिति में उन्हें विनियमितीकरण किये जाने की आवश्यकता नहीं है। 10. बिन्दु संख्या-10 से 14 में की गयी आपत्ति के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत अनन्तिम वरिष्ठता नियमित/मौलिक नियुक्ति के आधार पर निर्धारित की गयी है। उक्त बिन्दुओं में की गयी आपत्तियॉ बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

b t uo-16(1)

		14. यह कि शासन द्वारा दिनांक 29.07.2016 को जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची के बिन्दु–2 एवं बिन्दु–3 में मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या–813/2015 अखिलेश कुमार एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेशों का अनुचित रूप से हवाला दिया गया है, जबकि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कही भी नहीं कहा गया है कि वर्ष 1995 से 2013 के मध्य नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के नीचे के वरिष्ठता क्रम में वर्ष 1995 में नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को रखा जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि जब प्रार्थीगण की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.09.2007 को जारी की गयी तब परिणामी ज्येष्ठता का नियम–8(क) लागू ही नहीं था, ऐसे में 10.09.2007 की वरिष्ठता सूची में परिणामी ज्येष्ठता समावेशित किस आधार पर कही जा सकती है? परिणामी ज्येष्ठता का नियम–8(क) अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी होने के पश्चात् दिनांक 14.09.2007 को अस्तित्व में आया है। अतः मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों का गलत हवाला देते हुए एवं गलत व्याख्या करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने के कारण प्रार्थी को दुर्भावनावश वरिष्ठता क्रम में सबसे नीचे का स्थान दिया गया है।	
3.	श्री रोहित खन्ना, श्री अवधेश कुमार तिवारी, श्री आर०डी० वर्मा, श्री बी०पी० मौर्य, श्री अरूण कुमार सिंह, श्री राहुल श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	उक्त 06 अभियन्ताओं द्वारा सम्मिलित रूप से प्रेषित आपत्ति में उल्लेख किया गया है कि क्रमांक–66, 70 एवं 80 पर अंकित अभियन्ताओं का विनियमितीकरण उनके विनियमितीकरण के बाद किया गया है। अतः उनका नाम नीचे रखा जाय।	उक्त 06 अभियन्ताओं द्वारा की गयी आपत्तियाँ बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। क्र0–66, 70 एवं 80 पर अंकित अभियन्ताओं को चयन सूची के अनुसार वरिष्ठता दी गयी है, जो नियमानुसार है।
4.	श्री सुधीश कुमार सिन्हा, अधिशासी अभियन्ता, रायबरेली विकास प्राधिकरण।	श्री सिन्हा द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है कि उनका विनियमितीकरण दि0 08.05.92 को किया गया है। श्री नीरज कुमार गुप्ता एवं श्री अर्जुन सिंह तोमर का विनियमितीकरण लगभग 02 वर्ष पश्चात किया गया है।	श्री सिन्हा की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। वर्ष 1986 में सहायक अभियन्ता की नियुक्ति के क्रम में सभी अभियन्ताओं को वरिष्ठता सूची में

		अतः उनके नाम के नीचे श्री नीरज कुमार गुप्ता एवं श्री अर्जुन सिंह तोमर का नाम रखा जाय।	स्थान दिया गया है। नियुक्ति हेतु प्राप्त सूची में श्री नीरज कुमार गुप्ता एवं श्री अर्जुन सिंह तोमर का नाम श्री सिन्हा से ऊपर अंकित है। इसी कारण श्री गुप्ता एवं श्री तोमर का नाम अनन्तिम वरिष्ठता सूची में श्री सिन्हा से ऊपर रखा गया है।
5.	1. श्री राधेश्याम बाजपेयी, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद वि0प्रा0 2. श्री अखिलेश कुमार, सहायक अभियन्ता, बरेली वि0प्रा0 3. श्री राम पाल सिंह राठौर, सहायक अभियन्ता, मेरठ वि0प्रा0 4. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता, झॉसी वि0प्रा0 5. श्री सुमेश, सहायक अभियन्ता, झॉसी वि0प्रा0 6. श्री धर्मवीर सिंह, सहायक अभियन्ता, मुजफ्फरनगर वि0प्रा0 7. श्री सच्चिदानन्द मिश्रा, सहायक अभियन्ता, मेरठ वि0प्रा0 8. श्री राजेश वर्मा, सहायक अभियन्ता, कानपुर वि0प्रा0 9. श्री अनिल कुमार माथुर, सहायक अभियन्ता, सहारनपुर वि0प्रा0 10. मो0 शाहिन खालिद, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद वि0प्रा0 11. श्री एन0पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, सहारनपुर वि0प्रा0 12. श्री के0के0	उक्त 24 अभियन्ताओं द्वारा अपने प्रत्यावेदनों में की गयी आपत्ति समान प्रकृति की है। उक्त 24 अभियन्ताओं द्वारा अपने प्रत्यावेदनों में निम्न आपत्तियॉ मुख्य रूप से उठायी गयी हैं :– 1. याचीगण को वरिष्ठता सूची में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में याचीगण से कनिष्ठ अवर अभियन्ताओं (रोस्टर प्रमोटी/ एस0सी0/ एस0टी0) के प्रोन्नति तिथि 16.01.95 से "Catch up rule" के सिद्धान्त पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान करते हुए पदोन्नति तिथि03.08.15 के स्थान पर निर्धारित किया जाय एवं तद्नुसार वरिष्ठता क्रम के आधार पर 27 आरक्षित श्रेणी के अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति वर्ष 1995 में न होती, तो तत्समय रिक्त पदों पर 27 सामान्य वर्ग के वरिष्ठ अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति होती। यही मा0 उच्चतम न्यायालय के "Catch up rule" एवं "Consequential Seniority" के सिद्धान्त का MANDATE भी है। 2. डिग्रीधारी अवर अभियन्ताओं को उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1985 प्राविधान नियम–28(3) के अनुसार मूल संवर्ग की ज्येष्ठता सूची संख्या–1723/9आ–5–96–228डीए/86 दि0 19 अप्रैल, 1996 के अनुसार वरिष्ठता क्रम में सहायक अभियन्ता (सिविल) की सूची में स्थापित किया जाय। अनन्तिम वरिष्ठता सूची में श्री प्रभात चन्द्र शर्मा, श्री साजिद हसन, श्री सुनील दत्त शर्मा, श्री अमर प्रताप सिंह, श्री जहीरूद्दीन, श्री अनिल कुमार मिश्रा	उक्त 24 अभियन्ताओं द्वारा बिन्दु संख्या–1 से 6 में की गयी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अभियन्तागण द्वारा काल्पनिक प्रश्न उठाया गया है कि यदि वर्ष 1995 में आरक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं की प्रोन्नति नहीं होती तो उनकी प्रोन्नति हो जाती। वर्ष 1995 में आरक्षित कोटे के अभियन्ताओं की प्रोन्नति पदोन्नति में आरक्षण विद्यमान होने के आधार पर की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.04.12 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण 15.11.97 से समाप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटे के सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति उक्त तिथि के पूर्व होने के कारण उनकी नियुक्ति को प्रोटेक्ट किया गया है। जहॉ तक डिग्री कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को मौलिक पद के आधार पर कनिष्ठ बताते हुए उनके ऊपर वरिष्ठता निर्धारित किये जाने के अनुरोध का प्रश्न है, तो इस संबंध में उल्लेख करना है कि

b t uo-16(1)

	श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद वि0प्रा0 13. श्री जितेन्द्र सिसौदिया, सहायक अभियन्ता, मेरठ वि0प्रा0 14. मो0 कमर, सहायक अभियन्ता, कानपुर वि0प्रा0 15. श्री अख्तर हुसैन खॉ, सहायक अभियन्ता, कानपुर वि0प्रा0 16. श्री पुलकेशिन कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, कानपुर वि0प्रा0 17. श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सहायक अभियन्ता, लखनऊ वि0प्रा0 18. श्री सोनी, सहायक अभियन्ता, आगरा वि0प्रा0 19. श्री नागेन्द्र सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता, आगरा वि0प्रा0 20. श्री शैलेन्द्र कुमार जौहरी, सहायक अभियन्ता, आगरा वि0प्रा0 21. श्री रतन सिंह, सहायक अभियन्ता, आगरा वि0प्रा0 22. श्री जयपाल सिंह सिकरवार, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद वि0प्रा0 23. श्री अरविन्द कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, मुरादाबाद वि0प्रा0 24. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक अभियन्ता, बरेली वि0प्रा0	एवं श्री आर0पी0 सिंह को क्रमशः क्रम सं0–172, 173, 174, 175, 176, 178 व 179 पर रखा गया है, जबकि उपरोक्त सभी अभियन्ता मूल संवर्ग में याचीगणों से कनिष्ठ है। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के "Catch up rule" के सिद्धान्त के क्रम में एवं उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1985 (यथा संशोधित) के प्राविधान नियम 28(3) के अनुसार याचीगण को वरिष्ठता क्रम में इनके ऊपर स्थापित किया जाय। 3. आवास अनुभाग–5 द्वारा दिनांक 29.07.16 को निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में सीधी भर्ती के माध्यम से दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं जिन्हें आवास अनुभाग–5 द्वारा दिनांक 19.07.03 को नियमित किया गया है, को याचीगण से ऊपर क्रम सं0 183 से क्रम सं0 245 पर स्थापित किया गया है यदि आरक्षित श्रेणी (एस0सी0/एस0टी0) के अभियन्ताओं को शासन के त्रुटिपूर्ण नीतियों के फलस्वरूप परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण न दिया गया होता तो सामान्य वर्ग के वरिष्ठ अवर अभियन्ताओं की वर्ष 1995 में ही पदोन्नति हो जाती। उपरोक्त क्रम सं0–183 से क्रम सं0–245 तक सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता तत्समय आवास विभाग की सेवा में ही नहीं थे। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दि0 27.08.15 के अनुपालन में भी याचीगण को उनसे कनष्ठि अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति की तिथि दि0 18.01.95 से नोशनल प्रोन्नति प्रदान करते हुए मूल संवर्ग की वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठता क्रम निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप, तत्समय वर्ष 1995 में आवास विभाग की सेवा में न होने के कारण सीधी भर्ती के दैनिक वेतन/तदर्थ सहायक अभियन्ता जिनका विनियमितीकरण दि0 19.07.03 को हुआ है, का नाम एवं क्रमांक वरिष्ठता सूची में याचीगण से नीचे स्थापित किया जाना चाहिए। 4. आवास अनुभाग–5 द्वारा वर्ष 1995 के 20 वर्ष बाद वर्ष 2015 में सामान्य	डिग्री कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत डिग्री कोटे के अनतर्गत ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त अभियन्तागण अपनी पदोन्नति की तिथि से सीधी भर्ती की भॉति वरिष्ठता पाने के नियमानुसार हकदार है। तद्नुसार उक्त अभियन्ताओं की वरिष्ठता निर्धारित की गयी है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। इस प्रकार उक्त अभियन्ताओं द्वारा की गयी आपत्तियॉ बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं हैं।

b t uo-16(1)

		वर्ग के अभ्यर्थियों की पदोन्नति की गयी, जिसके फलस्वरूप यह विसंगति उत्पन्न हुई है। यदि वर्ष 1995 से वर्षवार उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार प्रोन्नतियां की गयी होती तो यह विसंगति उत्पन्न नहीं होती। इसके विपरीत शासन द्वारा वर्षवार उपलब्ध रिक्तियों पर वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक सीधी भर्ती के रूप में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्तियां की गयी एवं उन्हें अनन्तिम वरिष्ठता सूची में याचीगण से ऊपर क्रम सं0–247 से क्रम सं0–259 पर स्थापित किया गया है, जो मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। मा0 उच्चतम न्यायालय के "Catch up rule" एवं "Consequential Seniority" के सिद्धान्त के अनुपालन में याचीगण को दि0 18.01.95 से नोशलन पदोन्नति एवं परिष्ठता प्रदान करते हुए सीधी भर्ती के नियुक्त सहायक अभियन्ताओं (क्रम सं0–247 से 259 तक) के ऊपर वरिष्ठता सूची में स्थापित किया जाय। 5. अनन्तिम वरिष्ठता सूची में पुलकेशिन कुमार सिंह को क्रम संख्या––301 पर स्थापित किया गया है जबकि अवर अभियन्ता के मूल संवर्ग की ज्येष्ठता सूची सं0–1723/9आ–5–96–228डीए/96, दिनांक 19.04.96 की वरिष्ठता सूची में इनका नाम नहीं है। 6. याची संख्या–813/2015 अखिलेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 अन्य में प्रार्थी भी याची है। अनन्तिम वरिष्ठता सूची में प्रार्थी श्री जितेनद्र सिसौदिया का नाम वरिष्ठता क्रम में क्रम सं0–280 पर स्थापित किया गया है, जबकि मा0 उच्चतम न्यायालय के "Catch up rule" एवं "Consequential Seniority" के सिद्धान्त के अनुपालन में प्रार्थी से कनिष्ठ अवर अभियन्ताओं को पदोन्नति तिथि 18.01.95 से नोशनल प्रोन्नति एवं दि0 18.01.95 से वरिष्ठता प्रदान करते हुए प्रार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में क्रम सं0–190 पर स्थापित किया जाय। अतः मा0 उच्चतम के न्यायालय के "Catch up rule" एवं "Consequential Seniority" सिद्धान्त के अनुपालन में उ0प्र0 विकास	

		प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत नियम 28(3) के अनुसार प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रार्थी से कनिष्ठ अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति तिथि दिनांक 18.01.95 से नोशनल प्रोन्नति एवं दिनांक 18.01.95 से ही वरिष्ठता प्रदान करते हुए मूल संवर्ग की वरिष्ठता सूची के कम में कम सं0–190 पर स्थापित किया जाय।	
6.	श्री दुर्गेश श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वि0प्रा0	श्री श्रीवास्तव द्वारा शासन के आदेश दि0 22.07.16 के कम में अपना नाम त्रिलोकी नाथ के ऊपर रखने का अनुरोध किया गया है।	शासनादेश दि0 22.07.16 द्वारा श्री दुर्गेश श्रीवास्तव का नाम श्री त्रिलोकी नाथ के ऊपर अंकित करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार वरिष्ठता सूची में संशोधन करते हुए श्री श्रीवास्तव का नाम श्री त्रिलोकी नाथ के ऊपर अंकित कर दिया गया है।
7.	श्री मुस्तिजाब अहमद, सहायक अभियन्ता, रायबरेली वि0प्रा0	श्री मुस्तिजाब अहमद द्वारा अपने प्रत्यावेदन में मुख्य रूप से यह आपत्ति उठायी गयी है कि :– 1. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अस्थायी रूप से सहायक अभियन्ता दि0 19.08.92 से माना गया है। शासन द्वारा विनियमितीकरण दि0 23.07.03 को किया गया, जिससे स्पष्ट है कि शासन द्वारा कोई नई नियुक्ति नहीं की गयी है बल्कि विनियमितीकरण किया गया है। अतः प्रार्थी की वरिष्ठता दि0 19.08.92 से मानते हुए वरिष्ठता सूची में स्थान अंकित किया जाय।	श्री मुस्तिजाब अहमद की आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। श्री अहमद की नियुक्ति वर्कचार्ज के रूप में हुई है। वर्कचार्ज की नियुक्ति को वरिष्ठता दिये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है। इनका विनियमितीकरण दि0 23.07.03 को किया गया है। विनियमितीकरण की तिथि ही मौलिक नियुक्ति की तिथि है। तद्नुसार श्री अहमद को वरिष्ठतासूची में नियमानुसार स्थान दिया गया है।
8.	श्री बृज मोहन गोयल, अधिशासी अभियन्ता, बरेली वि0प्रा0	श्री गोयल द्वारा शासन के आदेश दि0 01.07.13 द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार अनन्तिम वरिष्ठता सूची दि0 29. 07.16 में वरिष्ठता कमांक–59 पर अंकित श्री नागर से नीचे तथा वरिष्ठता कमांक–7 पर अंकित श्री विजय कुमार के ऊपर वरिष्ठत कमांक–59ए पर वरिष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध	शासनादेश दि0 01.07.13 के कियान्वयन को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। उक्त स्थगनादेश के विरूद्ध श्री गोयल द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका

		किया गया है।	योजित की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को नये सिरे से निस्तारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय को सन्दर्भित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। मा0 न्यायालय द्वारा प्रकरण को निस्तारित किये जाने के उपरान्त तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
9.	1. श्री राकेश कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद वि0प्रा0 2. श्री सुरेश कुमार सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद वि0प्रा0 3. श्री संजय जिन्दल, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद वि0प्रा0 4. श्री राजीव कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, बरेली वि0प्रा0	उक्त चार अभियन्ताओं के प्रत्यावेदन में उठाई गयी आपत्तियाँ समान प्रकृति की हैं। उक्त तीनों अभियन्ताओं द्वारा अपने प्रत्यावेदन में मुख्य रूप से निम्न आपत्तियाँ उठायी गयी हैं :- 1. क्रमांक-113 से 243 तक के सहायक अभियन्ताओं की मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित किया जाय, जैसा कि अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता जारी की गयी है। मौलिक नियुक्ति की तिथि के अनुसार वरिष्ठता में रखा जाय। 2. श्री प्रदीप कुमार शर्मा की भाँति वेतन निर्धारण किया जाय।	उक्त चार अभियन्ताओं के प्रत्यावेदनों में उठायी गयी आपत्तियाँ स्वीकार योग्य नहीं हैं। क्रमांक-113 से 243 तक के अभियन्ताओं की विनियमितीकरण की तिथि ही मौलिक नियुक्ति की तिथि है। उक्त आधार पर उक्त अभियन्ताओं को वरिष्ठतासूची में नियमानुसार स्थान दिया गया है। इसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उनका नाम नियमों के अन्तर्गत रखा गया है।
10.	श्री अनिल शुक्ल, सहायक अभियन्ता, लखनऊ वि0प्रा0	श्री शुक्ल द्वारा अपनी आपत्ति में यह उल्लेख किया गया है कि उनका नाम अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अनिल कुमार शुक्ला अंकित है जबकि नियुक्ति पत्र, सेवा पुस्तिका, भारतीय पासपोर्ट एवं हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, प्राविधिक शिक्षा परिषद के मूल प्रमाण पत्रों में उनका नाम अनिल शुक्ल अंकित है। अतः श्री शुक्ल द्वारा अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक-336 पर अंकित अपने नाम में उक्तानुसार संशोधन करते हुए अनिल शुक्ल अंकित करने का अनुरोध किया गया है।	अभिलेखों से पुष्टि होने के आधार पर श्री शुक्ल के अनुरोधानुसार उनका नाम अनिल कुमार शुक्ला के स्थान पर अनिल शुक्ल अंकित कर दिया गया है।
11.	श्री आनन्द कुमार मिश्र, सहायक अभियन्ता, लखनऊ वि0प्रा0	श्री मिश्र द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से अवगत कराया गया है कि वरिष्ठता सूची इन्टरसी सीनियारिटी के	श्री मिश्र द्वारा की गयी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। सीधी भर्ती एवं

		अनुसार होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है। अतः इन्टरसी सीनियारिटी के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	पदोन्नति के आधार पर वरिष्ठता एक चयन वर्ष में नियुक्त होने वाले कार्मिकों की होती है। प्रकरण में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति एक चयन वर्ष में नहीं होने के कारण इनको नियुक्ति एवं पदोन्नति के दिनांक से वरिष्ठता देते हुए तद्नुसार वरिष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।
12.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा (प्रथम), सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद वि0प्रा0	श्री शर्मा द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उनकी वरिष्ठता 2003 के स्थान पर 1991 से निर्धारित होनी चाहिए। वर्ष 1995 में पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं के ऊपर उनका नाम वरिष्ठता कमांक–222 के स्थान पर 129 पर होना चाहिए।	श्री शर्मा की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। श्री शर्मा दिनांक 23.07.03 को विनियमित हुए हैं। ऐसी स्थिति में वर्ष 1995 में पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं के ऊपर वरिष्ठता निर्धारित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।
13.	श्री विपिन कुमार, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद वि0प्रा0	श्री विपिन कुमार द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि वह सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर दि0 26.10.88 से कार्यरत हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 01 मार्च, 1991 से सहायक अभियन्ता माना है। अतः उनका नाम कमांक–92 पर होना चाहिए।	श्री विपिन कुमार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। उनकी नियुक्ति वर्कचार्ज के रूप में हुई थी। श्री विपिन कुमार दि0 23.07.03 को विनियमित हुए है। विनियिमतीकरण की तिथि ही उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि है। उक्त तिथि से वरिष्ठता देते हुए तद्नुसार वरिष्ठता सूची में स्थान दिया गया है।
14.	श्री एस0के0अरोरा, सहायक अभियन्ता, कानपुर वि0प्रा0	श्री आरोरा द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि उनकी अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की तिथि 01.03.83 है, जबकि अनन्तिम वरिष्ठता सूची में दि0 18.02.83 अंकित हो गयी है। संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।	श्री अरोरा की अपत्ति को स्वीकार करते हुए उनकी अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की तिथि दिनांक 18.02.83 को संशोधित करते हुए दिनांक 01.03.83 अंकित कर दिया गया है।

15.	श्री अरूण कुमार सक्सेना, सहायक अभियन्ता, वाराणसी वि0प्रा0	श्री सक्सेना द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.91 एवं मा0 उच्च न्ययालय के निर्णय दिनांक 19.08.92 के अनुपालन में वर्ष 1991 से वरिष्ठता देते हुए तद्नुसार वरिष्ठता सूची में स्थान दिये जाने का अनुरोध किया गया है।	श्री सक्सेना की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। इनकी नियुक्ति वर्कचार्ज के रूप में हुई थी। श्री सक्सेना दि0 19.07.03 को विनियमित हुए है। विनियमितीकरण की तिथि ही उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि है। उक्त तिथि से वरिष्ठता देते हुए तद्नुसार वरिष्ठता सूची में स्थान दिया गया है, जो कि पूर्णतया नियमानुसार है।
16.	श्री आनन्द प्रकाश, सहायक अभियन्ता, इलाहाबाद वि0प्रा0	1. श्री प्रकाश द्वारा अपनी प्रथम आपत्ति में मुख्य रूप से अपनी पदोन्नति की तिथि 31.03.16 के स्थान पर 03.08.15 किये जाने का अनुरोध किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पदोन्नति आदेश की प्रति संलग्न की गयी है। 2. द्वितीय आपत्ति में वर्ष 1995 से प्रोन्नत मानते हुए उसी के साथ वरिष्ठता दिये जाने का अनुरोध किया गया है।	1. श्री प्रकाश की प्रथम आपत्ति स्वीकार योग्य है। अभिलेखों से प्रमाणित होने के उपरान्त श्री प्रकाश की पदोन्नति तिथि 31.03.16 के स्थान पर 03.08.15 अंकित कर दी गयी है। 2. श्री प्रकाश की द्वितीय आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। श्री प्रकाश की पदोन्नति दि0 03.08.15 से की गयी है। तद्नुसार वरिष्ठता सूची में स्थान दिया गया है। वर्ष 1995 से पदोन्नति दिये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नहीं है।
17.	श्री पोष पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, बरेली वि0प्रा0	श्री सिंह द्वारा अपनी आपत्ति में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15899/2010 चकेश जैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में वर्णित तथ्यों के अनुरूप बताया गया है।	श्री सिंह द्वारा वरिष्ठता सूची अन्तिम रूप से उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15899/2010 चकेश जैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन किये जाने का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार आदेशों में उल्लेख कर दिया गया है।

uo-16(1)

8– उपर्युक्त सिद्धान्तों एवं उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम–7 व 28 के प्राविधानों के दृष्टिगत प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के निस्तारणोपरान्त उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नवत प्रख्यापित की जा रही है :–

क0	नाम	जन्म तिथि	दि0 22.10.84 के पूर्व विभिन्न विकास प्राधिकरणों में सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की तिथि	अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	सहायक अभियन्ता के पद पर विनियमितीकरण/मौलिक पदोन्नति/आमेलन की तिथि	अभ्युक्ति
1	सर्वश्री, 2	3	4	5	6	7
1	एस0सी0 मिश्रा	30.09.56	03.11.78	–	22.10.84	–
2	आर0एन0 सिंह	30.06.57	05.02.79	–	22.10.84	–
3	हीरालाल सिंह यादव	17.01.59	–	–	26.12.95	श्री यादव की ज्येष्ठता मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में लम्बित पुनर्विचार याचिका संख्या–48/2016 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन है।
4	वी0के0 गोयल	29.06.57	26.11.81	–	22.10.84	–
5	अजय कुमार सिंह	12.04.60	24.04.82	–	22.10.84	–
6	शिवराज सिंह	01.01.58	14.05.82	–	22.10.84	–
7	राकेश कुमार शुक्ला	01.07.57	15.05.82	–	22.10.84	–
8	सुशील चन्द्र द्विवेदी	01.07.60	05.06.82	–	22.10.84	–
9	सुनील कुमार श्रीवास्तव	23.01.58	16.06.82	–	22.10.84	–
10	इन्दुशेखर सिंह	01.07.62	14.02.83	–	22.10.84	–
11	विवेकानन्द सिंह	21.06.61	14.02.83	–	22.10.84	–
12	ओ0पी0 मिश्र	01.07.59	14.02.83	–	22.10.84	–
13	संजीव कुमार सिन्हा	04.02.58	14.02.83	–	22.10.84	–
14	संजय कुमार सिंह	08.08.60	10.05.83	–	22.10.84	–
15	अजीत प्रताप सिंह	17.04.60	18.05.83	–	22.10.84	–
16	सरवत अली	04.12.59	18.05.83	–	22.10.84	–
17	दुर्गेश श्रीवास्तव	28.08.61	18.05.83	–	22.10.84	–
18	त्रिलोकी नाथ (अनु.जा.)	12.11.61	18.05.83	–	22.10.84	–
19	बीरी सिंह	01.08.58	18.05.83	–	22.10.84	–
20	सत्यपाल सिंह (अनु.जा.)	02.07.60	01.06.83	–	22.10.84	–
21	योगेश पाठक	08.12.58	14.06.83	–	22.10.84	–
22	अतुल रायजादा	17.06.60	20.06.83	–	22.10.84	–

b t uo-16(1)